# उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, प्रयागराज क्षेत्र
## निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्या 1467रोपी/2020–01जन/यात्री प्लाजा/19 दिनांक 26.11.2020 में दी गई व्यवस्थाओ के कम में उ0प्र0 परिवहन निगम प्रयागराज क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले विभिन्न मार्गो पर रिक्त चल रहे यात्री प्लाजा के संचालन हेतु निविदा के माध्यम से दिनांकः 08.12.2021 को 14.00 बजे तक टू बिड प्रणाली के अर्न्तगत प्रस्ताव आमत्रित किया जाता है:–

| कमांक | मार्ग का नाम | क्षेत्रीय मुख्यालय/जनपद से दूरी | निर्धारित अर्नेष्टमनी |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रयागराज से कानपुर | 50 कि0मी0(+/–10 कि0मी0) | रू0 50,000/– मात्र |
| 2 | प्रयागराज से गोरखपुर | 50 कि0मी0(+/–10 कि0मी0) | रू0 50,000/– मात्र |
| 3 | प्रयागराज से अयोध्या | 50 कि0मी0(+/–10 कि0मी0) | रू0 50,000/– मात्र |
| 4 | प्रयागराज से बॉदा | 50 कि0मी0(+/–10 कि0मी0) | रू0 50,000/– मात्र |
| 5 | प्रयागराज से मिर्जापुर | 50 कि0मी0(+/–10 कि0मी0) | रू0 50,000/– मात्र |
| 6 | प्रयागराज से वाराणसी (प्रयागराज सीमा तक) | 50 कि0मी0(+/–10 कि0मी0) | रू0 50,000/– मात्र |
| 7 | लखनऊ–प्रतापगढ–वाराणसी | 50 कि0मी0(+/–10 कि0मी0) | रू0 50,000/– मात्र |

निविदा से सम्बन्धित समय सारिणी निम्नवत है–

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 22.11.2021 से 07.12.2021 तक (अवकाश के दिनो को छोड़कर) क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में रू0 590/– का नकद भुगतान करके अथवा परिवहन निगम की वेवसाइट से उक्त अवधि में प्राप्त किये जा सकेगें। बेवसाइट www.upsrtc.com से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्रो के साथ रू0590/– का डिमान्ड ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500,00/–तथा जी0एस0टी0 18 प्रतिशत कुल रू0 590/–
3. निविदा बाक्स में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के पृथक–पृथक शील्ड लिफाफे डालने की तिथि व समय–08.12.2021 को 14.00 बजे।
4. निविदा डालने का स्थान– क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय,25 सरदार पटेल मार्ग, राजापुर उ0प्र0रा0स0परि0निगम प्रयागराज।
5. तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि व समय– 08.12.2021 को 15.00 बजे।
6. तकनीकी निविदा में अर्ह पाई गई निविदादाताओ की वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि व समय– 09.12.2021 को 15.00 बजे।

**तकनीकी निविदा के साथ सलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं अर्नेस्टमनी व निविदा प्रपत्र कय किये जाने का डिमाण्ड ड्राफ्ट/रसीद आदि।**

1. निर्धारित अर्नेस्टमनी रू0 50000.00(पचास हजार रू0मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो की उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम इलाहाबाद के पक्ष मे देय है मूल रूप में।

Downloaded From www.upsrtc.com

2. निविदा प्रपत्र कय किये जाने का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप मे अथवा निविदा प्रपत्र कय किये जाने की रसीद की स्व प्रमाणित की छाया प्रति।
3. निविदादाता फर्म /व्यक्ति का जीएसटी में पंजीकृत होने का पंजीयन प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. फर्म/सस्था का पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. यात्री प्लाजा का क्षेत्रफल का अंकन वर्गमीटर मे (भुस्वामित्व का वैधानिक/लीज पर होने की) अभिलेखो की स्व प्रमाणित छाया प्रतियॅा संलग्न करना अनिवार्य होगा। ।
6. यात्री प्लाजा के क्षेत्रफल में यदि भूमि एक से अधिक व्यक्तियो के नाम है, तो नोटराइज्ड अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। ।
7. यात्री प्लाजा यदि पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप की डीड मूल रूप मे।
8. परिवहन निगम में ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में न होने का नोटराइज्ड शपथ पत्र मूल रूप में।
9. यात्री प्लाजा के संचालन हेतु परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ द्वारा निर्गत नियम/शर्तो परिवहन निगम की बेवसाइट www.upsrtc.com पर एवं निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध है।
10. किसी भी निविदा अथवा सम्पूर्ण निविदा कार्यवाही को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय समिति में सुरक्षित होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, प्रयागराज

पत्रांक 6278 जन/क्षे0प्र0/प्र0रा0/यात्री–प्लाजा/2021 दिनांक 20/11/2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस नोटिस को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

1. प्रधान प्रबन्धक(पीएन्डडीएम), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. सहायक प्रबन्धक(ईडीपी) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।
4. सेवा प्रबन्धक, परिवहन निगम प्रयागराज।
5. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी, प्रयागराज।
6. नोटिस बोर्ड।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

Downloaded From
www.upsrtc.com

# उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रयागराज क्षेत्र

## निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा)

उ0प्र0 परिवहन निगम

अपका अपना साथी

**प्रयागराज**

स्व प्रमाणित
फोटो चस्पा करे।

डी0डी0नं0............................दिनॉक..............

.

**निविदा प्रपत्र का मूल्य**
**रू0 500/–(पॉच सौ रूपये) तथा + 18%**
**जीएसटी रू0 90/–(नब्बे रूपये)**
**कुल रू0 590/–(पॉच सौ नब्बे रूपये)**

1. फर्म/संस्था का नाम :–...........................................................................................

2. फर्म/संस्था का पूरा पता :–...........................................................................
   (पिन कोड न0 सहित)
3. फर्म/सस्था का दूरभाष नं0 :–.......................................................................
   (एसटीडी कोड सहित)
4. फर्म/संस्था का ई–मेल :–..............................................................................

5. फर्म/संस्था का बेवसाइट :–...........................................................................

6. फर्म/संस्था का कार्यानुभव :–........................................................................
   (यदि कोई है, तो प्रमाण संलग्न करें)
7. मार्ग का नाम (जिसके लिए निविदा की जा रही है) :–............................................

8. स्थान का नाम जहॉ यात्री प्लाजा स्थित है एवं जिला मुख्यालय से दूरी :–............

9. यात्री प्लाजा का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) :–..................................................
   (भू स्थल का वैधानिक स्वामित्व/लीज अभिलेख की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

**क्रमश:...पेज 2 पर**

Downloaded From www.upsrtc.com

10. यात्री प्लाजा के सामने का भाग की न्यूनतम् चौड़ाई (मीटर में) :–...........................

11. यात्री प्लाजा के स्थान के ऊँपर से विद्युत/हाई टेन्शन लाइन है या नही :–.........

12. जीएसटी में पंजीकृत होने का पंजीयन नं0 :–..............................................................
(प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

13. फर्म/संस्था का पैन नं0 :–.........................................................................................
(प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

14. धरोहर धनराशि का पूर्ण विवरण :–

अ–डिमाण्ड ड्राफ्ट नं0.................................................... दिनॉक .................................

ब–धनराशि(अंकों में) रू0.............................. स–(शब्दों में)..........................................

द–बैंक का नाम :–.............................................................................................................

15. कुल संलग्नकों की संख्या :–.......................................................

एक टेण्डर फार्म, मात्र एक ही यात्री प्लाजा के चयन के लिए मान्य होगा। एक से अधिक यात्री प्लाजा के लिए अलग–अलग टेण्डर फार्म ही मान्य होगे।

(उपरोक्त विवरण में अंकित कोई भी तथ्य असत्य/झूॅठा नहीं है, जॉच में यदि उक्त तथ्य असत्य/झूॅठे पाये जाते हैं, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेंरा होगा)

फर्म/संस्था/यात्री प्लाजा के प्रोपराइटर
का हस्ताक्षर एवं सील

Downloaded From
www.upsrtc.com

# उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रयागराज क्षेत्र
## निविदा प्रपत्र (वित्तीय)

उ0प्र0 परिवहन निगम
आपका अपना साथी

**प्रयागराज**

स्व प्रमाणित
फोटो चस्पा करे।

1. फर्म / संस्था का नाम :–...........................................................................................................
2. फर्म / संस्था का पूरा पता :–.......................................................................................................
   (पिन कोड न0 सहित)
3. फर्म / सस्था का दूरभाष नं0 :–.....................................................................................................
   (एसटीडी कोड सहित)
4. फर्म / संस्था का ई–मेल :–...........................................................................................................
5. फर्म / संस्था का बेवसाइट :–.........................................................................................................
6. मार्ग का नाम (जिसके लिए निविदा की जा रही है) :–..................................................
7. स्थान का नाम जहॉ यात्री प्लाजा स्थित है एवं जिला मुख्यालय से दूरी :–............
8. फर्म द्वारा यात्री प्लाजा पर प्रतिबस ठहराव हेतु निगम को देय धनराशि रू0...........
   (रू0 50 / – प्रतिबस प्रति ठहराव से कम की दरे स्वीकार्य नहीं किया जायेगा)

यह टेण्डर फार्म मात्र एक ही यात्री प्लाजा चयन के लिए है। एक से अधिक यात्री प्लाजा हेतु अलग–अलग टेण्डर फार्म ही मान्य होगें।

(उपरोक्त विवरण में अंकित कोई भी तथ्य असत्य / झूॅठा नहीं है, जॉच में यदि उक्त तथ्य असत्य / झूॅठे पाये जाते हैं, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेंरा होगा)

फर्म / संस्था / यात्री प्लाजा के प्रोपराइटर
का हस्ताक्षर एवं सील

Downloaded From www.upsrtc.com

# निविदा के मुख्य नियम एवं शर्ते

## 1. निविदा निस्तारण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

1.1 निगम बसों के यात्रियों की सुविधा हेतु क्षेत्रीय मुख्यालय से 80 कि0मी0 (+/–10) की दूरी पर यात्री प्लाजा की उपलब्धता न होने एवं एक ही यात्री प्लाजा होने पर अधिक बसों के ठहराव के फलस्वरूप यात्रियों की डिमाण्ड के अनुसार खाद्य पदार्थो की अनुपलब्धता तथा गुणवत्ता में गिरावट होने के कारण क्षेत्रीय मुख्यालय से यात्री प्लाजा का अप–डाउन में 50 कि0मी0 (+/–10) की दूरी पर चिन्हीकरण/अनुबन्धन किया जायेगा।

1.2 यात्री बाहुल्यता के कारण यात्रियों की आवश्यकता की पूर्ति एवं अनावश्यक ठहराव में विलम्ब के दृष्टिगत जिन मार्गो पर 300 बसों से अधिक का संचालन हो रहा है, उन मार्गो पर यात्री सुविधा प्रभावित न हो, जिसके कारण 02 यात्री प्लाजा का चिन्हीकरण/अनुबन्धन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ए0सी0 बसों के ठहराव हेतु पृथक से यात्री प्लाजा का चिन्हीकरण किया जायेगा।

1.3 यात्री प्लाजा के अनुबन्धन हेतु निविदा के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे तथा जो टेण्डरदाता निविदा के समस्त निर्धारित मानकों को पूर्ण करेगा तथा प्रतिबस प्रति हाल्ट अधिकतम हाल्टेज चार्ज की दर प्रस्तावित करेगा, उसी निविदादाता को यात्री प्लाजा के संचालन हेतु चयनित किया जायेगा।

1.4 यात्री प्लाजा के अनुबन्धन हेतु इच्छुक संचालक/ईकाई स्वामी द्वारा प्लाजा संचालन हेतु दिये गये आवेदन पर भू क्षेत्रफल में निर्धारित व्यवस्थायें पूर्ण कराने के लिये अधिकतम 03 माह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में प्लाजा अनुबन्ध से पूर्व क्षेत्रीय समिति द्वारा सत्यापन उपरान्त अनुबन्धन की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित अवधि में संचालक द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण न करने की दशा में सिक्योरिटी मनी जब्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। यदि विशेष परिस्थितियों/कारणों से संचालक द्वारा 03 माह में प्लाजा का संचालन नहीं किया जाता है, तो कारणों का उल्लेख करते हुए समय को विस्तारित किये जाने हेतु मुख्यालय की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। विस्तारित अवधि अधिकतम 03 माह होगी, जो विलम्ब शुल्क के साथ एक माह हेतु रू0 2000/– दो माह हेतु रू0 5000/–तथा तीन माह के लिए रू0 10,000/–प्लाजा संचालक द्वारा देय होगी।

1.5 यात्री प्लाजा संचालन हेतु आवेदकों के पास अपने स्वामित्व या वैध लीज की 4000 वर्ग मीटर भू स्थान का वैधानिक स्वामित्व/कब्जा होना चाहिए और सामने का भाग न्यूनतम् 50 मीटर चौड़ा होना चाहिए एवं अन्य निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा।

1.6 जिन स्थानों पर पूर्ण प्रयासों के उपरान्त भी निर्धारित क्षेत्रफल की भूमि उपलब्ध नहीं है, वहॉ द्वितीय विकल्प के अन्तर्गत 2500 से 3000 वर्ग मीटर भू–स्थान जिसका वैधानिक स्वामित्व/लीज (किराया) और सामने का भाग न्यनूतम् 30 मीटर चौड़ा हो, उसको क्षेत्रीय समिति द्वारा विचारोपरान्त कारणों का उल्लेख करते हुए संस्तुति मुख्यालय प्रेषित करते हुए अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।

1.7 सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक ही मार्ग पर अप एवं डाउन यात्रा हेतु अलग–अलग यात्री प्लाजा का चयन किया जायेगा।

1.8 किसी भी दशा में यात्री प्लाजा के स्थान के ऊपर से विद्युत तार/एच0टी0 लाइन न जा रही हो।

1.9 अनुबन्धित यात्री प्लाजा के सामने वाहन पार्किंग स्थल को इंटरलॉकिंग कराना अनिवार्य होगा तथा प्लाजा के फ्रंट पर 5×5 फुट की ग्लो साइन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर निगम का "लोगो" तथा "प्लाजा निगम से अनुबन्धित" प्रदर्शित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सड़क की ओर डबल साइड 6×6 फुट का बोर्ड परिवहन निगम का अधिकृत "यात्री प्लाजा" पोल या एंगिल माउन्डेड 8 फुट डिस्पले रखा जायेगा। अनुपालन न करने की स्थिति में नोटिस में समय देकर अनुबन्ध समाप्त की कार्यवाही की जायेगी।

Downloaded From www.upsrtc.com

1.10 अनुबन्धित यात्री प्लाजाओं की एकरूपता बनाये रखने के लिए फ्रण्टेज पर Facade (मुखौटा) को निगम द्वारा निर्धारित किये गये मानक के अनुरूप यात्री प्लाजा स्वामी विकसित करेगा, ताकि चिन्हित करने में असुविधा न हो। मानक एवं डिजाइन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

1.11 यात्री सुविधा के दृष्टिगत यात्री प्लाजा में साफ–सफाई एवं खान–पान की गुणवत्ता उच्च कोटि की होना प्राथमिकता होगी। कमी पाये जाने पर प्रथम बार निरीक्षण में नोटिस, द्वितीय बार में रू0 5000/– तथा तीसरी बार रू0 10,000/–का अर्थदण्ड एवं चौथी बार जमा अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

1.12 अनुबन्ध की अवधि 03 वर्ष की होगी। इसके अतिरिक्त निविदादाता द्वारा प्रत्येक वर्ष हाल्टेज चार्ज में 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

1.13 क्षेत्र के अधीन संचालित यात्री प्लाजा का क्षेत्रीय प्रबन्धक माह में एक बार तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, डिपोज द्वारा पाक्षिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा एवं अनुपालन आख्या प्रत्येक माह निरीक्षणकर्ता द्वारा प्लाजा के गुणवत्ता पर ग्रेडिंग के अनुसार रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।

1.14 विभिन्न मार्गो पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा अनुबन्धित यात्री प्लाजा का मुख्यालय से सम्बद्ध सभी यातायात अधीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा बसों के निरीक्षण के साथ–साथ मार्ग पर पड़ने वाले यात्री प्लाजा का भी निरीक्षण निगम द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जायेगा तथा पायी गयी कमियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए रिपोर्ट सीधे मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

1.15 बस यात्रियों की आवश्यकताओं हेतु रू0 60/– में 04 रोटी (30 ग्राम प्रत्येक) सीजनल सब्जी 100 ग्राम, 150 एम0एल0 गाढ़ी दाल, एक मीडियम कटोरी चावल व रू0 50/– में पैक्ड 05 पूड़ी (न्यूनतम् 35 ग्राम प्रत्येक) व एक सूखी सब्जी (आलू/सीजनल) एवं अचार (न्यूनतम् 10 ग्राम) व रू0 50/–में पैक्ड 2 स्लाइस की बेज सेडविच या एक कटलेट (100 ग्राम) के जनता/पैक्ड पैकेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

1.16 उक्त खाद्य सामग्री की बिक्री प्रत्येक प्लाजा पर अवश्य करायी जायेगी तथा दरें काउन्टर के सम्मुख स्पष्ट प्रदर्शित की जायेगी। निर्धारित खाद्य सामग्री प्लाजा संचालक द्वारा बिक्री न किये जाने की दशा में नोटिस/अर्थदण्ड जैसी कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

## 2. निगम में संचालित यात्री प्लाजा के प्रभावी अनुसरण हेतु निम्नलिखित विन्दुओं पर प्राथमिकता से कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

2.1 जिन स्थानों पर यात्री प्लाजा संचालित हैं, उन स्थानों पर निगम की बसों का ठहराव शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जाये। मार्ग में संचालित अनाधिकृत यात्री प्लाजा व अन्य अनाधिकृत स्थानों (ढ़ाबों) पर बसें कदापि न रोकी जायें, अन्यथा बस के सम्बन्धित चालक/परिचालक को यात्रियों के अवैध डी–टेन्शन का दोषी मानते हुए उनके विरुद्धविभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के साथ विधिक कार्यवाही की जायेगी। अनाधिकृतढ़ॉबों में बसों को खड़ी करते पाये जाने वाले सम्बन्धित क्रू के विरुद्ध प्रथम प्रकरण पायै जाने पर रू0 2000 का एवं पुनः दोषी पाये जाने पर प्रत्येक प्रकरण में रू0 3000 का अर्थदण्ड रोपित कर कार्यवाही की जायेगी। यदि चालक/परिचालक नियमित हैं, तो निलम्बन की कार्यवाही करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की जाये और यदि सम्बन्धित क्रू संविदा कार्मिक है, तो तत्काल प्रभाव से उसकी संविदा समाप्त करने पर विचारकिया जायेगा।

2.2 न्यूनतम् 02 घण्टे लगातार यात्रा के पश्चात् ही बसों को यात्री प्लाजा पर रोका जाय, यदि मार्ग पर इस अवधि में कोई चिन्हित यात्री प्लाजा पड़ता भी है, तो वहॉ पर बस नहीं रोकी जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि यात्री प्लाजा में बसों का ठहराव 20 मिनट से अधिक का न हो। इससे कम दूरी की वे ही सेवायें इस स्थान पर अधिकतम् 10 मिनट केवल पैक्ड आइटम बस में ही बैठे यात्रियों को सुलभ कराने के लिए रूक सकेगी। 20 मिनट से अधिक ठहराव की स्थिति में यात्री प्लाजा स्वामी द्वारा बसों की सूची सम्बन्धित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक को अनिवार्य रूप से 24 घण्टे के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी, यदि फिर

Downloaded From www.upsrtc.com

भी निरीक्षण में 20 मिनट से अधिक ठहराव पाया जायेगा, तो यात्री प्लाजा स्वामी के विरुद्ध अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2.3 सभी यात्री प्लाजा के डायनिंग हॉल तथा बसों के पार्किंग यार्ड में प्लाजा स्वामी द्वारा सी0सी0 टी0वी0 कैमरा लगाया जाना आवश्यक है, जिसको आई0पी0 एड्रेस लिंक से जोड़ा जाय।

2.4 चालक/परिचालक द्वारा प्रत्येक ट्रिप के लिए प्लाजा स्वामी से निर्धारित धनराशि प्राप्त कर ईटीएम से टिकट जारी कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा यात्री प्लाजा से प्राप्त आय का विवरण डिपो स्तर पर तिथिवार/बसवार रखा जायेगा और निम्नलिखित प्रारूप में मासिक रूप से विलम्बतम आगामी माह की 07 तारीख तक सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

| **कमांक** | **डिपो का नाम** | **बस का रजिस्ट्रेशन नम्बर** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **योग** | | |

2.5 यात्री प्लाजा में खान–पान की गुणवत्ता, रेट चार्ट, प्रसाधन, पेयजल की व्यवस्था एवं उच्च कोटि की सफाई का नियमित निरीक्षण संलग्न प्रारूप में निर्धारित मानक के अनुसार नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा माह में न्यूनतम एक बार अवश्य किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या प्रतिमाह मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।

2.6 सभी यात्री प्लाजा के चिन्हित स्थानों की जियो फैसिंग, प्रधान प्रबन्धक (आई0जी0) द्वारा करायी जायेगी, जिससे यह स्थान बसों की अवैध ठहराव की श्रेणी में न आये।

2.7 अनुमन्य सभी यात्री प्लाजा स्वामी के लिए यह अनिवार्य होगा कि निर्धारित आकार एवं डिजाइन का बोर्ड प्लाजा के सामने इस प्रकार लगाये कि बस चालक एवं यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

2.8 परिवहन निगम की बसों में **"मील ऑन रोड"** ऐप के माध्यम से निगम द्वारा अधिकृत ढ़ाबों पर ठहराव सुनिश्चित कर यात्रियों को प्री–आर्डर भोजन सुविधा प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

2.9 यात्री प्लाजा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, यात्रियों के लिए उपयोगी तथा इसके कार्य कलापों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से निगम द्वारा साफ्टवेयर/ऐप/ऑनलाइन के माध्यम से विकसित की गयी प्रणाली यात्री प्लाजा स्वामी को मान्य होगी एवं प्रणाली को सुचारु संचालित करने में सहयोग करेगा। इस पर आने वाले परिवहन निगम/फर्म के व्यय को यात्री प्लाजा स्वामी से निगोशियेशन के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

## 3. निविदा निस्तारण की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

3.1 क्षेत्रीय समिति द्वारा Two Stage Bid System के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के उपरान्त प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर, मुख्यालय को संस्तुति सहित अपने स्पष्ट प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अग्रसारित किये जायेंगे।

3.2 वित्तीय एवं तकनीकी निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी निविदा पृथक–पृथक बन्द लिफाफे में डाली जायेगी। प्रत्येक लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में तकनीकी बिड अथवा वित्तीय बिड अंकित किया जायेगा। 02 स्टेज बिड प्रणाली के अन्तर्गत तकनीकी बिड में उपयुक्त पाये जाने वाले निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी

3.3 प्लाजा संचालक द्वारा जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र ही वैध माना जायेगा। निविदा पूर्ण होने के उपरान्त सफल निविदादाता को आवंटन आदेश निर्गत होने की तिथि से 07 दिवसों के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा, तभी अनुबन्ध के निष्पादन उपरान्त उन्हें कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जायेगी।

3.4 अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (Earnest Money Deposit) की धनराशि रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) मात्र बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करायी जायेगी।

3.5 सफल निविदादाता द्वारा सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट निम्नानुसार गणना कर के एफ0डी0 (फिक्स डिपॉजिट) के रूप में जमा करानी होगी :–

Downloaded From www.upsrtc.com

सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट(Security Money Deposit)=N (प्रश्नगत रूट, जिस पर यात्री प्लाजा स्थित है, से एकल दिशा में चलने वाली दैनिक औसत बसों की संख्या)x H (निविदा में सफल निविदादाता द्वारा घोषित उच्चतम् प्रतिबस हाल्टेज चार्ज)× 60

3.6 क्षेत्रीय समिति द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव पर स्वीकृति मुख्यालय पर मुख्य प्रधान प्रबन्धक स्तर से अनिम्न अधिकारी, जिसे कि प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित किया जाए, के द्वारा की जायेगी।

## 4 यात्री प्लाजा अनुबन्धन हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रण के लिए नियम एवं शर्तों का निर्धारण निम्नवत् होगा :–

4.1 यात्री प्लाजा संचालक हेतु प्राप्त प्रस्ताव बस एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित व उपयुक्त हो।

4.2 क्षेत्रीय मुख्यालय से दूरी 50 कि0मी0 (+/–10) पर यात्री प्लाजा अप–डाउन का चिन्हीकरण।

4.3 यात्री प्लाजा संचालन हेतु आवेदकों के पास अपने स्वामित्व या वैध लीज की 4000 वर्ग मीटर भूस्थान का वैधानिक स्वामित्व/कब्जा होना चाहिए और सामने का भाग न्यूनतम् 50 मीटर चौड़ा होना चाहिए एवं अन्य निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा।

4.4 जिन स्थानों पर पूर्ण प्रयासों के उपरान्त भी निर्धारित क्षेत्रफल की भूमि उपलब्ध नहीं है, वहॉ द्वितीय विकल्प के अन्तर्गत 2500 से 3000 वर्ग मीटर भू स्थान जिसका वैधानिक स्वामित्व/लीज (किराया) और सामने का भाग न्यूनतम् 30 मीटर चौड़ा हो, उसको क्षेत्रीय समिति द्वारा विचारोपरांत कारणों का उल्लेख करते हुए संस्तुति मुख्यालय प्रेषित करते हुए अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।

4.5 जिन मार्गों पर 300 बसों से अधिक का संचालन हो रहा है, उन मार्गों पर 02–02 यात्री प्लाजा अप–डाउन के लिए तथा ए0सी0 बसों के ठहराव के लिए पृथक से यात्री प्लाजा चिन्हीकरण/अनुबन्धन।

4.6 अनुबन्धित यात्री प्लाजा के सामने वाहन पार्किंग स्थल को इंटरलॉकिंग होना अनिवार्य, प्लाजा के फ्रंट पर 5×5 फुट का ग्लो साइन बोर्ड, जिस पर निगम का लोगो तथा प्लाजा निगम से अनुबन्धित प्रदर्शित होना, इसके अतिरिक्त सड़क की ओर डबल साइड 6×6 फुट का बोर्ड परिवहन निगम का अधिकृत **"यात्री प्लाजा"** पोल या एंगिल माउन्डेड 8 फुट डिस्पले रखा जायेगा।

4.7 अनुबन्धित यात्री प्लाजाओं की एकरूपता बनाये रखने के लिए भवन के अग्र भाग/फ्रन्टेज (Facade/Front Elevation) को निगम द्वारा निर्धारित किये गये मानक के अनुरूप यात्री प्लाजा स्वामी विकसित करेगा, ताकि चिन्हित करने में असुविधा न हो। मानक एवं डिजाइन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

## 5. आवश्यक सुविधाऐं जो यात्री प्लाजा द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी:–

5.1 खान–पान स्थान हेतु न्यूनतम् 40 व्यक्तियों के बैठने के लिए फर्नीचर।
5.2 निःशुल्क प्यूरीफाइड पेयजल की व्यवस्था।
5.3 महिला शौचालय 04
5.4 पुरूष शौचालय 04
5.5 यूरिनल सीट 05
5.6 यात्रियों के बैठने के स्थान पर न्यूनतम् 08 सीलिंग फैन।
5.7 वॉशबेसिन एवं टॉवेल, साबुन की उपलब्धता।
5.8 जनरेटर 16 केबीए।
5.9 डीप फ्रीजर।
5.10 खाद्य पदार्थ को तैयार करने में प्रयुक्त एडविल ऑयल आदि हानिकारक फैट कंटेन्ट व लो
5.11 सेचुरेटेड फण्ड के दृष्टिकोण से उच्चतर एफ0डी0ए0/एगमॉर्क मानक के अनुरूप।
5.12 कुकिंग गैस प्रयोग की स्थिति में कामर्शियल कनेक्शन या कुकिंग कोल की व्यवस्था।
5.13 खान–पान सम्बन्धी वस्तुओं की दरों की सूची।
5.13 शिकायत पुस्तिका।
5.14 हाईजीन साफ–सफाई।

Downloaded From www.upsrtc.com

5.15 (अ)मेन्यु व रेट रूपया 60/— प्रति थाली, 60/—जिसमें 04 रोटी (30 ग्राम प्रत्येक), सीजनल सब्जी 100 ग्राम, 150 एम0एल0 गाढ़ी दाल, एक मीडियम कटोरी चावल।

(ब)रू0 50/— में पैक्ड 05 पूड़ी (न्यूनतम् 35 ग्राम प्रत्येक) व एक सूखी सब्जी (आलू/सीजनल) एवं अचार (न्यूनतम् 10 ग्राम)।

(स)रू0 50/— में पैक्ड 02 स्लाइस की बेज सैडविच या एक कटलेट (100 ग्राम) के जनता/पैक्ड पैकेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

5.16 200 कि0मी0 या उससे लम्बी दूरी बस के क्रू को निःशुल्क (न्यूनतम् जनता थाली के समतुल्य निःशुल्क भोजन व्यवस्था)।

5.17 निगम कार्मिकों को भोजन की दरों में 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

5.18 पैक्ड खान—पान की सामग्री को कम्पनी के अंकित एम0आर0पी0 सीमा में विक्रय किया जायेगा।

5.19 आवश्यकतानुसार निगम द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों में किये गये संशोधन यात्री प्लाजा संचालक को मान्य होंगे।

Downloaded From
www.upsrtc.com